

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-387 / 2011

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-387 / 2011

संस्थित दिनांक:-08.06.2011

शासन द्वारा पुलिस आरक्षी केंद्र,
मालनपुर जिला-भिण्ड म0प्र0

अभियोजन

बनाम्

1. महावीर प्रसाद जैन पुत्र रामनारायण जैन उम्र 33 वर्ष
निवासी- पुराना रिठौरा रोड़ मालनपुर जिला भिण्ड (म0प्र0)
आरोपी

(आरोप अंतर्गत धारा- 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम)
(राज्य द्वारा एडीपीओ- श्री प्रवीण सिकरवार)
(आरोपी द्वारा अधि0- श्री एम0पी0एस0 राणा)

// निर्णय //

// आज दिनांक 23.02.2018 को घोषित //

आरोपी पर दिनांक 09.02.2005 को दिन के ढाई बजे महावीर गैस सर्विस पुराना रिठौरा रोड़ मालनपुर स्थित गोदाम में भारत गैस के दो घरेलू सिलेन्डर बिना किसी बैद्य अनुज्ञा पत्र के अपने आधिपत्य में भंडारण करने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 09.02.2005 को सहायक आपूर्ति अधिकारी गोहद श्री एस0पी0 तिवारी द्वारा महावीर गैस सर्विस पुरानी रिठौरा रोड़ ग्वालियर स्थित प्रतिष्ठान की जांच की गई थी एवं जांच के दौरान प्रतिष्ठान के मालिक आरोपी महावीर जैन उपस्थित मिले थे। पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया था कि घरेलू गैस सिलेन्डर राजा गैस सर्विस जिंसी नाला रोड़ ग्वालियर स्थित गैस एजेंसी से मंगाता है तथा उन्हें मालनपुर में ग्राहकों को रिफिल करता है। जांच के समय आरोपी से राजा गैस सर्विस ग्वालियर द्वारा घरेलू गैस सिलेन्डर विक्रय करने हेतु प्रमाण पत्र चाहा गया परन्तु आरोपी द्वारा ऐसा कोई प्रमाण पत्र एवं लेखीय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही यह जानकारी प्रस्तुत की गई कि उसके द्वारा किन किन उपभोक्ताओं को गैस सिलेन्डर रिफिल की गई है। फर्म की दुकान की जांच करने पर दुकान के

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-387 / 2011

अंदर दो घरेलू सिलेन्डर भारत गैस के रखे पाये गये। गैस सिलेन्डर के बारे में पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई कि दुकान में रखे हुए घरेलू गैस सिलेन्डर किन किन उपभोक्ताओं के हैं। इस प्रकार महावीर गैस सर्विस पुरानी रिठौरा रोड़ मालनपुर के मालिक आरोपी द्वारा वैद्य अनुमति के बिना घरेलू गैस का भंडारण एवं अवैद्य रूप से विक्रय किया गया। दुकान में रखे हुए दो घरेलू गैस सिलेन्डर भारत गैस के जब्त किये गये तथा मौके पर ही जांच पंचनामा, जब्तीनामा एवं सुपुर्दगीनामा बनाया गया तथा जांच प्रतिवेदन सहायक आपूर्ति अधिकारी द्वारा कलेक्टर महोदय जिला भिण्ड की ओर भेजा गया। कलेक्टर महोदय जिला भिण्ड द्वारा आदेश दिनांक 03.03.2011 द्वारा आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया गया। तत्पश्चात् सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री एच0आर0 सुमन द्वारा पुलिस थाना मालनपुर में आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना मालनपुर में अपराध क्र0 55/11 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. उक्तानुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोपी को आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दंडप्र0सं0 की धारा 313 के अन्तर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 09.02.2005 को दिन के 02:30 बजे महावीर गैस सर्विस पुराने रिठौरा रोड़ मालनपुर में स्थित गोदाम में वैद्य अनुज्ञा पत्र के बिना भारत गैस के दो घरेलू गैस सिलेन्डर का भंडारण किया।

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी साक्षी अमित जैन असा 1, कमलकिशोर असा 02, उपनिरीक्षक सुरेश शर्मा असा 03, सेवानिवृत्त प्रधान आरक्षक मुलायक सिंह असा 04, आरक्षक अनिल शर्मा असा 05, आरक्षक शिवराम सिंह असा 06, जिला आपूर्ति अधिकारी हुकमीराम सुमन असा 07 एवं एस0डी0ओ0पी0 आत्माराम शर्मा असा 08 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी द्वारा बचाव में स्वयं महावीर जैन ब0सा0 01 को परीक्षित कराया गया है।

{ निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण }

विचारणीय प्रश्न क्र0-1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में साक्षी हुकमीराम सुमन असा 07 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 27.04.2011 को थाना मालनपुर में जिला

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-387 / 2011

आपूर्ति अधिकारी के पालन में प्र०पी० 11 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने उक्त दिनांक को ही घटनास्थल का नक्शामौका प्र०पी० 05 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने उक्त दिनांक को ही प्र०पी० 07 का पत्रक, प्र०पी० 02 के मौके का पंचनामा, प्र०पी० 01 का जब्तीनामा, जिला आपूर्ति अधिकारी का पत्र प्र०पी० 09, प्र०पी० 10 सहित समस्त दस्तावेज ए०एस०आई० सुरेश शर्मा को जब्त कराकर जब्ती पंचनामा प्र०पी० 06 बनाया था जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। वह एस०पी० तिवारी को जानता था। एस०पी० तिवारी की मृत्यु हो चुकी है। उसने उनके साथ काम किया था। इसीलिए वह उनके हस्ताक्षरों से परिचित है। जब्ती पंचनामा प्र०पी० 01, पंचनामा प्र०पी० 02 एवं सुपुर्दगी पंचनामा प्र०पी० 03 के क्रमशः सी से सी भाग पर एस०पी० तिवारी के हस्ताक्षर हैं। जांच प्रतिवेदन प्र०पी० 07 के ए से ए भाग पर एस०पी० तिवारी के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र० 07 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्र०पी० 11 की एफ०आई०आर० उसके द्वारा की गई थी। उसने एफ०आई०आर० कराने के लिए आवेदन पत्र दिया था। उसके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। उसने तो कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 03.03.2011 के पालन में आवेदन दिया था। पद क्र० 05 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसने आवेदन के साथ पंचनामा प्रतिवेदन सुपुर्दगीनामा आदि प्रस्तुत किये थे। उक्त दस्तावेज एस०पी० तिवारी के तैयार किये थे और कार्यालय से उसे दिये गये थे। उसे याद नहीं है कि पंचनामा किस किस के सामने बनाया गया था। उसने प्र०पी० 02 का पंचनामा पढ़ा नहीं था, इसीलिए वह नहीं बता सकता कि उस पर किस किस के हस्ताक्षर हैं।

8. साक्षी अमित जैन असा 01 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह महावीर प्रसाद जैन की दुकान पर सामान लेने गया था वहां पर उससे कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा लिये गये थे। वहां पर दो-तीन लोग आये थे, उन्होंने उसके हस्ताक्षर कराये थे। उसने समझा था कि नाले की सफाई हो रही है, इस बात के हस्ताक्षर कराये जा रहे हैं। जब्ती पंचनामा प्र०पी० 01, पंचनामा प्र०पी० 02, सुपुर्दगी पंचनामा प्र०पी० 03 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 04 पर क्रमशः उसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। परन्तु उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं किया है।

9. साक्षी कमलकिशोर असा 02 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन के लगभग 8-9 साल पहले की दिन के 12-1 बजे की है। महावीर जैन से फूड विभाग के इन्स्पेक्टर ने दो-तीन सिलेन्डर पकड़े थे। सिलेन्डर किस कंपनी के थे, उसे याद नहीं है। भारत या इण्डेन में से कोई सिलेन्डर होंगे। सिलेन्डर इन्स्पेक्टर ने क्यों पकड़े थे, उसे मालूम नहीं है। सिलेन्डर महावीर जैन की दुकान पर पकड़े गये थे। महावीर जैन की गैस रिपेयरिंग की दुकान है। पंचनामा प्र०पी० 02 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त पंचनामा चैक करने वाले अधिकारियों ने उसके सामने बनाया था। महावीर जैन सिलेन्डर में गैस भरने का काम करता था। महावीर जैन किराने का काम करता था। उसके पास गैस एजेंसी नहीं थी। जब्ती पंचनामा प्र०पी०

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-387 / 2011

01 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने जब्तीकर्ता अधिकारी के द्वारा दो या तीन सिलेन्डर जब्त कर जब्ती पंचनामा प्रपी0 01 बनाया गया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 07 में उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि प्र0पी0 01 में क्या लिखा है ? उसे मालूम नहीं है। उसे ध्यान नहीं है कि किस अधिकारी ने लिखा पढ़ी की थी। पद क्र0 03 में उक्त साक्षी का कहना है कि प्र0पी0 01 की लिखा पढ़ी वह नहीं पढ़ पाया था क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं है उसने महावीर के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे। उसे आज मालूम नहीं है कि दो सिलेन्डर जब्त किये थे या तीन सिलेन्डर जब्त किये थे। अगर प्र0पी0 01 की लिखा पढ़ी उसके हस्ताक्षर करने के बाद में कर ली हो तो उसे जानकारी नहीं है। उसे ध्यान नहीं है कि उसने कितनी जगह हस्ताक्षर किये थे। उसे नहीं मालूम कि प्र0पी0 02 के पंचनामे पर क्या लिखा पढ़ी हुई थी। प्र0पी0 1 व 2 की लिखा पढ़ी किस दिनांक को हुई थी, उसे जानकारी नहीं है।

10. ए0एस0आई0 सुरेश शर्मा अ0सा0 3 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 27.04.2011 को प्र0पी0 04 का नक्शामौका बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने हुकमीराम द्वारा पेश किये जाने पर प्र0पी0 06 के वर्णानुसार प्रपत्र जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र0पी0 06 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी महावीर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 4 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने साक्षी हुकमीराम, अमित जैन, कमलकिशोर, गजेन्द्र एवं एस0पी0 तिवारी के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

11. साक्षी मुलायम सिंह अ0सा0 04 एवं अनिल शर्मा अ0सा0 05 ने भी उक्त बिन्दु पर सुरेश शर्मा अ0सा0 03 के कथन का समर्थन किया था एवं मुलायम असा0 4 ने जब्ती पंचनामा प्रपी 06 के बी से बी भाग पर तथा अनिल शर्मा अ0सा0 05 ने जब्ती पंचनामा प्रपी0 06 के सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

12. आरक्षक शिवराम सिंह अ0सा0 06 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि ए 0एस0आई0 सुरेश शर्मा ने दिनांक 02.06.2011 को उसके सामने आरोपी महावीर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 04 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। एस0डी0ओ0पी0 आत्माराम शर्मा अ0सा0 08 ने अपने कथन में यह बताया है कि उसने दिनांक 27.04.2011 को आरोपी महावीर प्रसाद जैन के विरुद्ध प्र0पी0 11 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

13. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-387 / 2011

14. बचाव के दौरान आरोपी महावीर जैन ब0सा0 01 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया गया है कि वह दिनांक 09.02.2005 को मालनपुर चौराहे से अपनी दुकान की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे चार-पांच लोग मिले थे, जिन्होंने उसे रोककर कहा था कि उन्हें गवाही की जरूरत है, कागजों पर हस्ताक्षर कर दो, तो उसने हस्ताक्षर कर दिये थे। कुछ दिन बाद उसके पास थाने से तामिल आई थी, कि उसके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है।

15. प्रस्तुत प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन कहानी के अनुसार घटना दिनांक 09.02.2005 की है तथा दिनांक 09.02.2005 को तत्कालीन सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री एस0पी0 तिवारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही की गई थी। श्री एस0पी0 तिवारी की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया जा सका है। अभियोजन कहानी के अनुसार श्री एस0पी0 तिवारी द्वारा दिनांक 09.02.2005 को आरोपी महावीर से दो घरेलू गैस सिलेन्डर जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र0पी0 01 एवं मौके का पंचनामा प्र0पी0 02 बनाया गया था तथा जांच प्रतिवेदन प्र0पी0 07 तैयार किया गया था। श्री एस0पी0 तिवारी की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त साक्षी अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया जा सका है।

16. जहां तक जब्ती पंचनामा प्र0पी0 1 एवं पंचनामा प्र0पी0 2 के साक्षी अमित जैन आसा0 1 एवं कमलकिशोर असा 02 के कथन का प्रश्न है तो अमित जैन असा 01 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है अतः साक्षी अमित जैन अ0सा0 1 के कथनों से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

17. जहां तक साक्षी कमलकिशोर अ0सा0 2 के कथन का प्रश्न है तो कमलकिशोर अ0सा0 2 ने अपने कथन में यह तो बताया है कि महावीर जैन से फूड विभाग ने सिलेन्डर पकड़े थे परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि सिलेन्डर किस कंपनी के थे, उसे याद नहीं है, सिलेन्डर क्यों पकड़े थे, उसे मालूम नहीं है। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि प्र0पी0 1 के पंचनामों में क्या लिखा था, उसे मालूम नहीं है। उसने प्र0पी0 1 नहीं पढ़ा था क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं है, उसे मालूम नहीं है कि दो सिलेन्डर जब्त हुए थे या तीन सिलेन्डर जब्त हुए थे अगर प्र0पी0 1 की लिखा पढ़ी उसके हस्ताक्षर करने के बाद कर ली हो तो उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार साक्षी कमलकिशोर अ0सा0 2 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह तो बताया है कि आरोपी से सिलेन्डर जब्त हुए थे परन्तु उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि आरोपी से कितने सिलेन्डर जब्त हुए थे एवं उक्त सिलेन्डर किस कंपनी के थे। उक्त साक्षी उक्त तथ्य बताने में असमर्थ रहा है। उक्त साक्षी के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित नहीं होती है।

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-387 / 2011

18. जहां तक ए0एस0आई0 सुरेश शर्मा अ0सा0 3, मुलायम अ0सा 4 एवं आरक्षक अनिल शर्मा अ0सा0 5 के कथन का प्रश्न है तो यह उल्लेखनीय है कि सुरेश शर्मा अ0सा0 3, मुलायम सिंह अ0सा0 4 एवं अनिल शर्मा अ0सा0 5 जब्ती पंचनामा प्र0पी0 6 के साक्षी है। ए0एस0आई0 सुरेश शर्मा अ0सा0 3 ने हुकमीराम सुमन से प्र0पी0 6 के जब्ती पंचनामों में वर्णित अनुसार दस्तावेज जब्त कर जब्ती पंचनामा तैयार करना बताया है। ए0एस0आई0 सुरेश शर्मा अ0सा0 3 द्वारा घटना दिनांक 09.02.2005 को कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उक्त साक्षी मूल घटना का साक्षी नहीं है। उक्त साक्षी ने मात्र प्र0पी0 06 का जब्ती पंचनामा एवं प्र0पी0 04 का गिरफ्तारी पंचनामा तैयार करना बताया है। उक्त साक्षी मूल घटना का साक्षी नहीं है। साक्षी मुलायम सिंह अ0सा0 4 एवं अनिल शर्मा अ0सा0 5 जब्ती पत्रक प्र0पी0 6 के साक्षी है। उक्त साक्षीगण भी घटना दिनांक 09.02.2005 के साक्षी नहीं है। उक्त साक्षीगण के समक्ष आरोपी से सिलेन्डर जब्त नहीं हुए हैं। अतः उक्त साक्षीगणों के कथनों से यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी से घटना दिनांक 09.02.2005 को सिलेन्डर जब्त किये गये थे।

19. आरक्षक शिवराम सिंह अ0सा0 6 भी गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 4 का साक्ष है। उक्त साक्षी भी मूल घटना का साक्षी नहीं है। एस0डी0ओ0पी0 आत्माराम शर्मा अ0सा0 8 ने भी प्र0पी0 11 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करना बताया है। उक्त साक्षीगण भी मूल घटना के साक्षी नहीं है। अतः उक्त साक्षीगणों के कथनों से भी अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित नहीं होती है।

20. प्रकरण में मूल रूप से विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या आरोपी से दिनांक 09.02.2005 को सिलेन्डर जब्त हुए थे। उक्त संबंध में महत्वपूर्ण साक्षी तत्कालीन सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री एस0पी0 तिवारी एवं जब्ती पंचनामा प्र0पी0 01 तथा पंचनामा प्र0पी0 02 के साक्षी अमित जैन एवं कमलकिशोर अ0सा0 02 थे। श्री एस0पी0 तिवारी की मृत्यु हो जाने के कारण अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। साक्षी हुकमीराम सुमन अ0सा0 7 ने जब्ती पंचनामा प्र0पी0 1, पंचनामा प्र0पी0 02 एवं जांच प्रतिवेदन प्र0पी0 7 पर श्री एस0पी0 तिवारी के हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। उक्त साक्षी द्वारा जब्ती पंचनामा प्र0पी0 1 तथा पंचनामा प्र0पी0 2 के तथ्यों को प्रमाणित नहीं किया गया है। साक्षी हुकमीराम सुमन अ0सा0 7 के समक्ष प्र0पी0 1 एवं प्र0पी0 2 की कार्यवाही नहीं की गई है। साक्षी हुकमीराम घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। उसके द्वारा मात्र जब्ती पंचनामा प्र0पी0 1 एवं पंचनामा प्र0पी0 2 पर श्री एस0पी0 तिवारी के हस्ताक्षरों की पहचान की गई है। उक्त साक्षी द्वारा जब्ती पंचनामा प्र0पी0 1 एवं पंचनामा प्र0पी0 2 की विशिष्टियों को प्रमाणित नहीं किया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से जब्ती पंचनामा प्र0पी0 1 एवं पंचनामा प्र0पी0 2 के तथ्य प्रमाणित नहीं होते हैं।

21. जहां तक पंचनामा प्र0पी0 1 एवं पंचनामा प्र0पी0 2 के साक्षी अमित जैन अ0सा 1 तथा कमलकिशोर अ0सा0 2 के कथन का प्रश्न है तो अमित जैन अ0सा0 1 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। साक्ष कमलकिशोर अ0सा0 2 के कथन भी अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। ऐसी स्थिति में उक्त

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-387 / 2011

साक्षीगण के कथनों से भी अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है। शेष साक्षी सुरेश शर्मा अ0सा0 3, मुलायम सिंह अ0सा0 4, अनिल शर्मा शर्मा अ0सा0 5, शिवराम अ0सा0 6 एवं एस0डी0ओ0पी0 आत्माराम अ0सा0 8 घटना दिनांक 09.02.2005 के साक्षी नहीं हैं। अभियोजन कहानी के अनुसार कलेक्टर के आदेश दिनांक 03.03.2011 के पालन में आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, परन्तु ऐसा कोई आदेश भी अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे संदेह से परे यह प्रमाणित होता हो कि आरोपी ने घटना दिनांक को अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेन्डर का भंडारण किया था। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

22. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो, वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

23. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 09.02.2005 को दिन के 2:30 बजे महावीर गैस सर्विस पुराना रिटौरा रोड़ मालनपुर स्थित गोदाम में भारत गैस के दो घरेलू सिलेन्डर का वैध अनुज्ञप्ति के बिना भंडारण किया। फलतः यह न्यायालय आरोपी महावीर प्रसाद जैन को संदेह का लाभ देते हुए उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

24. आरोपी पूर्व से जमानत पर हैं उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

25. प्रकरण में जप्तशुदा दो सिलेन्डर अपील अवधि पश्चात् विधिवत् निराकरण हेतु जिला आपूर्ति अधिकारी भिण्ड की ओर भेजे जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान:- गोहद,

दिनांक:-23.02.2018

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,

खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)